भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1966

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी

1966. श्री बैष्णव परिडा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की स्थिति क्या है और क्या उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे उनके आगमन को नियंत्रित करने में कितनी सहायता मिली है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग): अवैध आप्रवासियों की दो श्रेणियां हैं - (1) वे विदेशी राष्ट्रिक, जिन्होंने वैध यात्रा दस्तावेजों पर भारत में प्रवेश किया है और निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए पाए गए हैं और (2) वे विदेशी राष्ट्रिक, जिन्होंने वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश किया है। अनेक बांग्लादेशी नागरिक, जो वैध यात्रा दस्तावेजों पर भारत आए, अपनी वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद अधिक समय तक ठहरे हुए पाए गए हैं। बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने की भी सूचनाएं हैं। चूंकि देश में ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों का प्रवेश गुप्त रुप से और चोरी-छिपे होता है, इसलिए देश के

विभिन्न भागों में रह रहे ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों के सही-सही आंकडे रखना संभव नहीं है। गत 5 वर्षों के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों के निर्धारित अवधि से अधिक समय त क ठहरने और वापस भेजे जाने का के ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए पाए गए बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या	वर्ष के दौरान वापस भेजे गए बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या
2011	24,364	6,761
2012	16,530	6,537
2013	1,541	5,234
2014	450*	989*
2015	116*	474*

*अनंतिम

विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के तक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने, उन्हें निरुद्ध करने और वापस भेजने के अधिकार दिए गए हैं। असम में, अवैध प्रवासियों का पता लगा ने और उन्हें वापस भेजने का कार्य विदेशी विषयक अधिकरण अधिनियम, 1946 के उपबंधों के तहत स्थापित विदेशी विषयक अधिकरणों के माध्यम से किया जाता है। असम में अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए इस समय 100 विदेशी विषयक अधिकरण कार्य कर रहे हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 562/2012 में असम में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजनेकी कार्य योजना तैयार करने और भारत-बांग्लादेश सीमा की प्रभावी रक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुसरण में, कार्य योजना तैयार की गई है। कार्य योजना के कार्यान्वयन की आवधिक रुप से निगरानी की जाती है।

सीमापार से अवैध आवाजाही, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना और उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस करना, बाड़ लगाना, तेज रोश नी की व्यवस्था करना, समन्वित गश्त, सीमा चौकियों के बीच सुभेद्य अंतरालों की पहचान करना और उन्हें कम करना, भारत-बांग्लादेश सीमा पर नदीय क्षेत्र में गश्त को सुदृढ़ करना आदि शामिल हैं। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का मुद्दा, सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को भारत और बांग्लादेश के बीच गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं सहित अनेक स्तरों पर नि यमित रूप से उठाया जाता है। बांग्लादेशी पदाधिकारियों से विशेष रूप से सुभेद्य और नदीय क्षेत्रों के माध्यम से भारत में उनके नागरिकों की अवैध घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। बांग्लादेश से ताजा अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए , बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर 19 सुभेद्य क्षेत्रों/सीमा चौकियों की पहचान की है। पहचान किए गए सुभेद्य क्षेत्रों में सुरक्षा सुदृढ़ कर दी गई है और गहन निगरानी रखी जा रहीहै।